अध्याय-9

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)-3

सतत विकास लक्ष्य- 2030 एजेंडा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सितंबर 2015 में अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य 2030 तक गरीबी, भुखमरी, बीमारी और अभाव से मुक्त विश्व की परिकल्पना करना है। 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-1 से एसडीजी-17) हैं और इन 17 सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 169 लक्ष्य हैं। भारत 2030 एजेंडा के लिए प्रतिबद्ध है और सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर तक विकास की परिकल्पना के लिए मुख्य फ्रेमवर्क के रूप में लिया गया है।

भारत में, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी है और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क को बनाने के लिए उत्तरदायी है।

राज्य सरकार ने जून 2017 में हरियाणा विजन 2030[1] आरंभ किया था और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से वित्त एवं योजना विभाग के भाग के रूप में स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्त प्रबंधन संस्थान के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र की स्थापना (अगस्त 2018) की थी। सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र का उद्देश्य हरियाणा सरकार के लिए एक संसाधन एवं ज्ञान केंद्र, थिंक टैंक तथा एक निगरानी केंद्र के रूप में कार्य करना है। इसका उद्देश्य राज्य में हरियाणा विजन 2030 की योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना था।

सतत विकास लक्ष्य-3 में जीवन के हर चरण में सभी के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखा गया है। इस लक्ष्य में प्रजनन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य; संक्रामक, गैर-संक्रामक और पर्यावरणीय रोग; सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज; तथा सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और किफायती दवाओं और टीकों तक पहुंच सहित सभी प्रमुख स्वास्थ्य प्राथमिकतायें सम्मिलित हैं। सतत विकास लक्ष्य-3 के तहत, 2030 तक पूरा किए जाने वाले कुल 13 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जैसा कि ***तालिका 9.1*** में दर्शाया गया है।

---

[1] हरियाणा के लिए विजन 2030 में हरियाणा को संघीय भारत की एक जीवंत, गतिशील और पुनरुत्थान इकाई के रूप में देखा गया है। एक ऐसा राज्य जहां खेत उपज से लहलहाते हों; उद्योग के पहिए बिना रुके चलते हों; कोई भी वंचित महसूस न करे; लोगों को पूर्णता का एहसास हो, युवाओं को गर्व हो, और महिलाएं न केवल सुरक्षा, संरक्षा और समान अवसरों का आनंद लें बल्कि सशक्त भी महसूस करें। 'अंत्योदय', न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, तथा राज्य को रहने के लिए बेहतर स्थान बनाना।

तालिका 9.1: सतत विकास लक्ष्य-3 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	लक्ष्य संख्या	2030 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण
1	3.1	वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर 70 से कम करना।
2	3.2	नवजात शिशुओं और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की रोकी जा सकने वाली मृत्यु को समाप्त करना, जिसका उद्देश्य नवजात मृत्यु दर को कम से कम 12 प्रति 1,000 जीवित जन्मों तक लाना तथा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम से कम 25 प्रति 1,000 जीवित जन्मों तक लाना है।
3	3.3	एड्स, टीबी, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारियों को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से निपटना।
4	3.4	रोकथाम और उपचार के माध्यम से गैर-संचारी रोगों से होने वाली असामयिक मृत्यु दर को एक तिहाई तक कम करना तथा मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना।
5	3.5	मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और शराब के हानिकारक उपयोग सहित मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की रोकथाम और उपचार को मजबूत करना।
6	3.6	2020 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और चोटों की संख्या को आधा करना।
7	3.7	परिवार नियोजन, सूचना और शिक्षा सहित यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना तथा राष्ट्रीय रणनीतियों और कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य का एकीकरण करना।
8	3.8	वित्तीय जोखिम कवरेज, गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच और सभी के लिए सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और सस्ती आवश्यक दवाओं और टीकों तक पहुंच सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना।
9	3.9	खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मृदा प्रदूषण एवं संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या को अधिकतम तक कम करना।
10	3.क	सभी देशों में तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यान्वयन को मजबूत करना।
11	3.ख	विकासशील देशों को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले संचारी और गैर-संचारी रोगों के लिए टीकों और दवाओं के अनुसंधान और विकास का समर्थन करना, तथा सस्ती आवश्यक दवाओं और टीकों तक पहुंच प्रदान करना।
12	3.ग	स्वास्थ्य वित्तपोषण और स्वास्थ्य कार्यबल की भर्ती, विकास, प्रशिक्षण और प्रतिधारण में पर्याप्त वृद्धि करना।
13	3.घ	राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्वास्थ्य जोखिमों की पूर्व चेतावनी, जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए सभी देशों, विशेषकर विकासशील देशों की क्षमता को मजबूत करना।

9.1 सतत विकास लक्ष्य-3 के लिए बजट की योजना और मैपिंग

9.1.1 सतत विकास लक्ष्यों के लिए रणनीतिक योजना और कार्य योजना तैयार न करना

राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अगस्त 2018 में हरियाणा सतत विकास लक्ष्य विजन 2030 में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए तीन वर्षों की अवधि के लिए ₹ 25.61 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत नवंबर 2018 से जुलाई 2021 के दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को ₹ 5 करोड़ की राशि जारी की गई है। सभी हितधारकों के बीच सतत विकास लक्ष्य के बारे में जागरूकता पैदा करने, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्य को स्थानीय बनाने, सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण विकसित करने और डेटा एकत्र करने के साथ-साथ सात वर्ष की रणनीतिक योजना और तीन वर्ष की कार्य योजना तैयार करने पर सहमति हुई।

वर्ष 2018-21 के दौरान, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र ने सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन रिपोर्ट, आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क रिपोर्ट, बेस्ट केस प्रैक्टिस बुकलेट, सतत विकास लक्ष्य-गैर-सरकारी संगठन एलाइनमेंट रिपोर्ट, सतत विकास लक्ष्य-कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एलाइनमेंट रिपोर्ट, सतत विकास लक्ष्य-विश्वविद्यालय एलाइनमेंट रिपोर्ट, जिला सतत विकास लक्ष्य प्रोफाइल पुस्तिकाएं, जागरूकता पैदा करने के लिए परामर्श बैठकें और कार्यशालाएं तैयार की थीं। हालांकि, रणनीतिक योजना और कार्य योजना तैयार करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र ने उत्तर दिया (जून 2023) कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक सरकारी विभाग अपनी रणनीतिक योजनाओं को स्पष्ट कर सके। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से सात वर्ष की रणनीतिक योजना और तीन वर्ष की कार्ययोजना तैयार करना सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र का उत्तरदायित्व था।

9.1.2 सतत विकास लक्ष्य-3 पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों के लिए बजट बनाना

बजट, लक्ष्यों के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता के ठोस उपाय प्रदान करता है, जबकि बजट के विरुद्ध व्यय से पता चलता है कि सरकार ने योजना का अनुपालन किया है या नहीं। सतत विकास लक्ष्य को बजट में एकीकृत करने के कई तरीके हैं (i) सतत विकास लक्ष्य के विरुद्ध बजट आबंटन की मैपिंग (ii) मुख्यतः यह समझाने के लिए कि बजट सतत विकास लक्ष्य से कैसे मेल खाता है, बजट दस्तावेज़ में विवरण शामिल करना (iii) बजट परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए सतत विकास लक्ष्य प्राप्तियों का उपयोग करना (iv) संसाधनों के आबंटन को युक्तिसंगत बनाने और वित्तीय प्राथमिकताओं को तय करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों का टूल के रूप में सहारा लेना।

राज्य सरकार ने 'सतत विकास लक्ष्य के विरुद्ध बजट आबंटन की मैपिंग' को अपनाया और वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए राज्य के बजट में प्रासंगिक सतत विकास लक्ष्य के साथ मौजूदा कार्यक्रमों/योजनाओं की मैपिंग की। इसके अलावा, 2019-20 से आगे आउटकम-आउटपुट फ्रेमवर्क रिपोर्ट तैयार की गई, जो सतत विकास लक्ष्य अवसरंचना का उपयोग करके और संसाधन आबंटन के बारे में सूचित निर्णयों को सक्षम करके वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विभाग के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है।

सतत विकास लक्ष्य-3 पर केंद्रित अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित कमियों का पता चला:

(i) वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र के राज्य बजट दस्तावेजों और बजट आबंटन रिपोर्टों में, मौजूदा योजनाओं को 15 लक्ष्यों (सतत विकास लक्ष्य-14 और 17 को छोड़कर) से जोड़ा गया था और आबंटन को लक्ष्य-वार दर्शाया गया था। आबंटन लक्ष्य-वार नहीं दिया गया था, अर्थात सतत विकास लक्ष्य-3 के तहत आबंटित पूरी राशि समग्र रूप से सभी 13 लक्ष्यों के लिए थी। लक्ष्य-वार आबंटन के अभाव में, आबंटन के प्रभाव का आकलन करना संभव नहीं था, अर्थात

किन लक्ष्यों पर अधिक ध्यान दिया गया।

सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र ने उत्तर दिया (जून 2023) कि प्रभाव का 'सतत विकास लक्ष्य' स्तर पर आकलन किया जाता है क्योंकि कई लक्ष्य एक विशेष सतत विकास लक्ष्य की दिशा में योगदान दे रहे हैं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सभी लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य का उप-समूह हैं और लक्ष्य-वार योजना और आबंटन के अभाव में, किसी विशेष लक्ष्य के लिए आबंटन के प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता है।

2018-21 की अवधि के लिए सतत विकास लक्ष्य-3 के अंतर्गत आबंटन, विभागों और कार्यक्रमों/योजनाओं का विवरण ***तालिका 9.2*** में दिया गया है:

तालिका 9.2: सतत विकास लक्ष्य-3 के लिए मैप किए गए बजट, व्यय तथा कार्यक्रम/योजना

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मैप किए गए विभागों की संख्या	12	16	12	12	10
मैप किए गए कार्यक्रमों/योजनाओं की संख्या	88	88	90	86	137
बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	2,894.65	3,150.67	3,337.37	3,494.18	8,047.54
वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	2,326.08	2,633.73	5,468.38	4,814.23	उपलब्ध नहीं

स्रोतः सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन रिपोर्ट

(ii) सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन रिपोर्ट और बजट दस्तावेजों की जांच से पता चला कि सरकार ने विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों के साथ कार्यक्रम/योजना के उद्देश्यों की प्रकृति और एलाइनमेंट के अनुसार, कार्यक्रमों/योजनाओं को एक से अधिक सतत विकास लक्ष्यों के साथ मैप किया था। आगे, इन कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत बजट आबंटन विभिन्न चिह्नित सतत् विकास लक्ष्यों के लिए समान रूप से किया गया। उदाहरण के लिए, बजट दस्तावेज़ 2019-20 के अनुसार, आयुष विभाग के अंतर्गत एक कार्यक्रम के लिए ₹ आठ करोड़ की राशि आबंटित की गई थी, जिसे तीन सतत विकास लक्ष्यों (3, 5 और 10) के विरुद्ध समान रूप से अलाइन किया गया था अर्थात प्रत्येक सतत विकास लक्ष्य के लिए ₹ 2.67 करोड़ किया गया था।

(iii) किसी विशेष कार्यक्रम/योजना में विभिन्न एलाइन सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय का आकलन नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आयुष विभाग के अधीन कार्यक्रम/योजना के तहत ₹ आठ करोड़ के कुल व्यय में से अलग-अलग सतत विकास लक्ष्य-3, सतत विकास लक्ष्य-5 और सतत विकास लक्ष्य-10 के लिए वास्तव में खर्च की गई राशि का आकलन नहीं किया जा सकता है।

सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र ने उत्तर दिया (जून 2023) कि किसी भी तंत्र की स्थापना न होने के कारण, 'समान महत्व दृष्टिकोण' का अनुपालन किया गया। उचित तंत्र अभी तक स्थापित नहीं किया गया है (जून 2023)। यह उत्तर सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र की ओर से विफलता को दर्शाता है क्योंकि बजट आबंटन को मैप करने का उत्तरदायित्व सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र के पास था।

(iv) सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र की बजट आबंटन रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप किसी विभाग के अलग-अलग कार्यक्रम/योजनाओं पर किए गए खर्च की मात्रा नहीं बताई गई है। इसके बजाय, यह सतत विकास लक्ष्य के तहत किसी विभाग के समेकित व्यय को बताता है। उदाहरण के लिए, सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन रिपोर्ट 2019-20 में आयुष विभाग के आठ कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए ₹ 49.85 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध, वास्तविक व्यय ₹ 67.16 करोड़ था।

इस प्रकार, सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों में लक्ष्य-वार व्यय के बारे में जानकारी नहीं दी गई, जिससे सरकार सतत विकास लक्ष्य-3 के तहत किसी विशेष लक्ष्य के अंतर्गत प्रगति को माप सके।

9.2 राज्य संकेतक फ्रेमवर्क और जिला संकेतक फ्रेमवर्क का नियमन

सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी और माप के लिए, राज्य सरकार को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग के परामर्श से राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (एसआईएफ) और जिला संकेतक फ्रेमवर्क (डीआईएफ) तैयार करनी थी। राज्य सरकारों को सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए स्थानीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के संकेतक विकसित करने की छूट दी गई है और राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) इसका आधार होगा।

सतत विकास लक्ष्य-3 के तहत सभी 13 लक्ष्यों में प्रगति मापने के लिए 28 वैश्विक संकेतक और 41 राष्ट्रीय संकेतक हैं। हरियाणा में, राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (एसआईएफ 1.0) अगस्त 2021 में तैयार किया गया था, जिसमें राज्य ने 12 लक्ष्यों[2] के लिए 39 राष्ट्रीय संकेतक अपनाए थे।

इसके अलावा, छः लक्ष्यों (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 और 3.सी) के लिए 21 हरियाणा विशिष्ट संकेतक तैयार किए गए। 5 लक्ष्यों (3.1, 3.2, 3.3, 3.7 और 3.8) के लिए 18 जिला संकेतक भी तैयार किए गए, जिन्हें 2020-21 में प्रकाशित[3] किया गया।

9.3 सतत विकास लक्ष्य-3 के संकेतकों का निष्पादन

राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए पहली हरियाणा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें ***तालिका 9.3*** में दिए गए 10 राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क संकेतकों के संबंध में उपलब्धियों को दर्शाया गया है और जिसमें सतत विकास लक्ष्य-3 के आठ लक्ष्यों (13 में से) को शामिल किया गया है।

---

[2] 13वें लक्ष्य के लिए कोई संकेतक निर्धारित नहीं किया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर का संकेतक है, अर्थात 3.डी. - राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य जोखिमों की शीघ्र चेतावनी, जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए सभी देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों की क्षमता को मजबूत करना।

[3] हरियाणा प्रांतीय जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21.

तालिका 9.3: सतत विकास लक्ष्य -3 के अंतर्गत संकेतकों का विवरण

क्र.सं.	संकेतक	संकेतकों का नाम	संकेतकों का संक्षिप्त विवरण
1	3.1.1	मातृ मृत्यु दर	प्रति वर्ष 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु का अनुपात।
2	3.2.1	पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर	प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर पांच वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले बच्चों की मृत्यु का अनुपात।
3	3.2.3	पूर्णतः प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत	12-23 माह की आयु के उन बच्चों का प्रतिशत जिन्हें बीसीजी, खसरा के सभी अनिवार्य टीके और पेंटावेलेंट टीके की तीन खुराकें दी गईं।
4	3.3.1	प्रति 1,000 असंक्रमित जनसंख्या पर एचआईवी का प्रकोप	प्रति 1,000 असंक्रमित जनसंख्या पर रिपोर्टिंग अवधि में एचआईवी से नए संक्रमित लोगों की संख्या।
5	3.3.2	प्रति एक लाख जनसंख्या पर टीबी रोग के मामलों की अधिसूचना	किसी दिए गए वर्ष में उत्पन्न होने वाले नए और पुनरावर्ती टीबी मामलों (टीबी के सभी प्रकार, जिनमें एचआईवी से पीड़ित लोग भी शामिल हैं) की अनुमानित संख्या, प्रति 1,00,000 जनसंख्या के आधार पर दर्शायी जाती है।
6	3.4.2	आत्महत्या दर	संदर्भ वर्ष के दौरान प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर दर्ज आत्महत्याओं की संख्या।
7	3.6.1	सड़क यातायात दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु दर	संदर्भ वर्ष के दौरान प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर सड़क दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले व्यक्तियों की संख्या की गणना की गई।
8	3.7.3	संस्थागत प्रसव का प्रतिशत	एक वर्ष या पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्वास्थ्य सुविधा में किए गए प्रसवों का प्रतिशत।
9	3.8.2[4]	स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति मासिक आय से किया जाने वाला व्यय	मासिक प्रति व्यक्ति खर्च व्यय के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति मासिक आय से किया जाने वाला व्यय।
10	3.सी.1	चिकित्सकों, नर्सों और दाइयों की उपलब्धता	प्रति 10,000 जनसंख्या पर चिकित्सकों, नर्सों और दाइयों की संख्या।

स्रोत: सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क बेसलाइन रिपोर्ट 2015-16

लेखापरीक्षा द्वारा, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2018-21, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क बेसलाइन रिपोर्ट 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, 2019-21 के आधार पर 10 संकेतकों ***(परिशिष्ट 9.1)*** का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। संकेतकों के निष्पादन में तुलनात्मक सुधार/गिरावट निम्नलिखित ग्राफों में प्रस्तुत की गई है।

[4] इस सूचक का विश्लेषण यहां नहीं किया गया है क्योंकि डेटा केवल एक वर्ष (2020-21) के लिए उपलब्ध है, अर्थात कोई वर्ष-वार प्रगतिशील डेटा उपलब्ध नहीं है।

चार्ट 9.1: 2015-21 के दौरान मातृ मृत्यु दर (3.1.1), पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (3.2.1), टीबी के मामले प्रति लाख (3.3.2), आत्महत्या दर (3.4.2) और दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु दर (3.6.1)

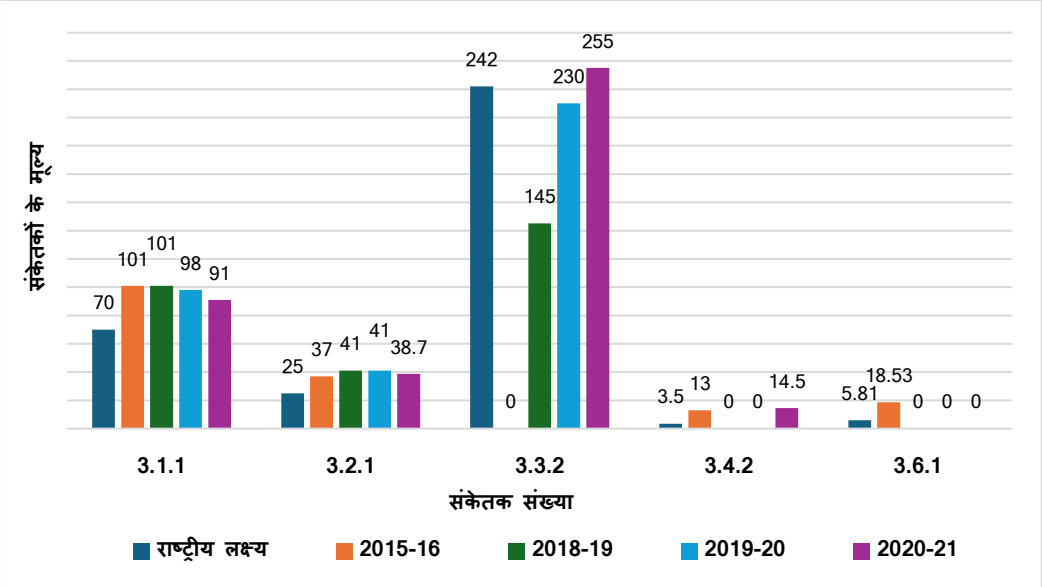

स्रोत: 2018-21 के लिए भारत का सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क बेसलाइन रिपोर्ट 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, 2019-21

चार्ट 9.2: सतत विकास लक्ष्य-3 के अंतर्गत 2015-21 के दौरान प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत (3.2.3), प्रति 1,000 असंक्रमित जनसंख्या पर एचआईवी का प्रभाव (3.3.1), संस्थागत प्रसव का प्रतिशत (3.7.3), चिकित्सकों, नर्सों और दाइयों की उपलब्धता (3.सी.1)

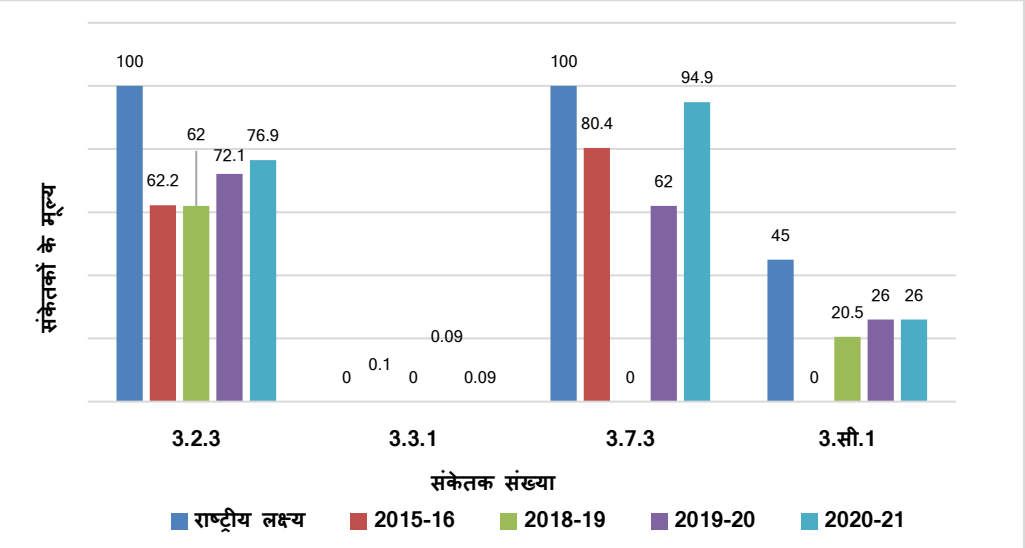

स्रोत: 2018-21 के लिए भारत का सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क बेसलाइन रिपोर्ट 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, 2019-21

असंतोषजनक निष्पादन दर्शाने वाले चार संकेतकों की चर्चा नीचे की गई है:

i. संकेतक 3.2.1 'प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर' में 2015-16 में 37 से बढ़कर 2018-20 में 41 और अंततः 2021 में 38.7 तक की वृद्धि देखी गई, जबकि इस संकेतक के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य 25 निर्धारित किया गया है।

ii. संकेतक 3.4.2 'प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर आत्महत्या दर' 2015-16 में 13 से बढ़कर 2020-21 में 14.5 हो गई, अर्थात यह राष्ट्रीय लक्ष्य 3.5 से चार गुना से भी अधिक थी।

iii. संकेतक 3.सी.1 'प्रति 10,000 जनसंख्या पर कुल चिकित्सक, नर्स और दाइयां' में 2018-19 में 20.5 से 2019-20 में 26 तक की वृद्धि देखी गई और 2020-21 में भी 26 तक बनी रही, जबकि राष्ट्रीय लक्ष्य 45 निर्धारित किया गया है।

iv. संकेतक 3.6.1 'सड़क यातायात दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु दर (प्रति 1,00,000 जनसंख्या)' 2015-16 के लिए 18.53 है जबकि इसके लिए राष्ट्रीय लक्ष्य 5.81 है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सतत विकास लक्ष्य-3 की प्रगति के मूल्यांकन के लिए इन चार संकेतकों पर निष्पादन राष्ट्रीय लक्ष्यों के संदर्भ में संतोषजनक नहीं था।

सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र ने उत्तर दिया (जून 2023) कि संकेतकों की नकारात्मक प्रवृत्ति को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सड़क एवं यातायात विभाग, लोक निर्माण विभाग जैसे विभिन्न संबंधित विभाग कार्य कर रहे हैं।

9.3.1 2018-21 के दौरान सतत विकास लक्ष्य-3 के लिए किए गए व्यय का विश्लेषण

वर्ष 2018-21 के दौरान सतत विकास लक्ष्य-3 के लिए बजट आबंटन और व्यय के विश्लेषण ***(परिशिष्ट 9.2 और 9.3)*** से पता चला कि स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय में वृद्धि हुई है, जबकि सतत विकास लक्ष्य-3 के संकेतक संतोषजनक तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते हैं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि वे केवल विभागों के बजट का मिलान कर रहे हैं और विभागीय गतिविधियां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ही की जाती हैं। उत्तर में लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि की गई है कि सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र द्वारा जो गतिविधियां की जानी थीं, वे उनके द्वारा नहीं की गईं।

इस प्रकार, सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र द्वारा संबंधित विभागों को सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए कारणों की पहचान करने और उपायों को तलाशने की आवश्यकता है ।

9.4 हस्तक्षेप और समन्वय

भारत ने जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच[5]. (एचएलपीएफ) पर अपनी दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) प्रस्तुत की। प्रस्तुति का शीर्षक, 'कार्रवाई का दशक: सतत विकास लक्ष्य को वैश्विक से स्थानीय स्तर पर ले जाना' का उद्देश्य बहु-हितधारकों की भागीदारी और सतत विकास लक्ष्य को स्थानीय बनाने की प्रतिबद्धताओं का अनुपालन करना था। दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा भारत में सब-राष्ट्रीय स्तर अर्थात राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर सतत विकास लक्ष्य स्थानीयकरण की दिशा में आठ चरण (नीचे उल्लिखित) प्रदान करती है।

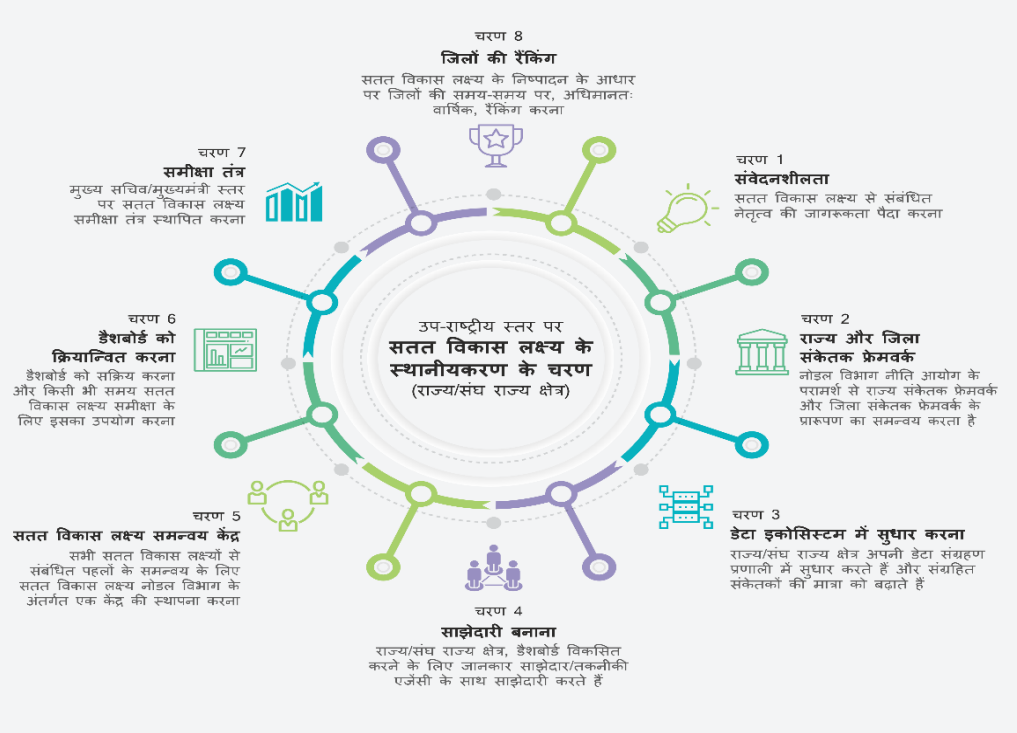

सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए किए गए प्रयासों और उनकी उपलब्धियों तथा लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई कमियों के बारे में एसडीजीसीसी/एसजेएचआईएफएम के अभिलेखों (2018-21) की जांच नीचे उल्लिखित है:

चरण 1- संवेदनशीलता अर्थात सतत विकास लक्ष्य से संबंधित नेतृत्व की जागरूकता सृजन:

- सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के तहत गठित स्थानीय सरकारों से संपर्क नहीं किया। सतत विकास लक्ष्य समन्वय

[5] सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत नियमित आधार पर सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध है। 2030 एजेंडा के अंतर्राष्ट्रीय अनुवर्तन और समीक्षा के लिए सबसे प्रमुख मंच संयुक्त राष्ट्र का उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच है, जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के तत्वावधान में 2016 से वार्षिक रूप से बैठक कर रहा है। उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच में, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) प्रस्तुत करते हैं। स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा के लिए आधार के रूप में कार्य करते हैं।

केंद्र के रिकॉर्ड से यह भी पता नहीं चला कि राज्य सरकार के जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर पदाधिकारियों के लाभ के लिए जागरूकता के प्रयास किए गए थे।

- हरियाणा के सतत विकास लक्ष्य मिशन में गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, व्यापारिक संगठनों आदि जैसे हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियां आयोजित नहीं की गईं।
- हरियाणा में उद्योग संघों/गैर-सरकारी संगठनों के साथ ऑनलाइन परामर्श के लिए सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य फर्स्ट नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म (नवंबर 2019) लॉन्च किया गया था, ताकि विकास के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सके। हालांकि, 2018-21 के दौरान इस प्लेटफॉर्म पर केवल दो कार्यक्रम (नवंबर 2019 और दिसंबर 2019 में यूनिवर्सल हेल्थकेयर) आयोजित किए गए थे।

चरण 2-राज्य और जिला संकेतक फ्रेमवर्क (एसआईएफ और डीआईएफ): राज्य संकेतक फ्रेमवर्क और जिला संकेतक फ्रेमवर्क को ***पैराग्राफ 9.2*** में चर्चा के अनुसार तैयार किया गया है।

चरण 3-डेटा इकोसिस्टम में सुधार: राज्य में, 21 हरियाणा विशिष्ट संकेतक विकसित किए गए थे, लेकिन इन्हें हरियाणा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में प्रकाशित नहीं किया गया था। इसके बजाय केवल 10 राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के संकेतक प्रकाशित किए गए थे, जिनके डेटा स्रोत[6] भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 के समान थे। इस प्रकार, हरियाणा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 की प्रतिकृति है।

चरण 4 - साझेदारी बनाना: राज्य ने डैशबोर्ड विकसित करने और तकनीकी सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है।

चरण 5 - सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र: सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र की स्थापना अगस्त 2018 में की गई थी। हालांकि, सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है, जैसा कि केंद्र की स्थापना के समय प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्तावित किया गया था कि सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम रोल पर सात कर्मियों वाली परियोजना प्रबंधन इकाई होगी और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निर्देशित होगी जबकि स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा वित्त पोषित और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान रोल पर 27 कर्मियों वाली परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) होगी। निगरानी और मूल्यांकन प्रयोजन के लिए परियोजना कार्यान्वयन इकाई के अंतर्गत छः मंडल समन्वयक और छः मंडल डेटा ऑपरेटरों का प्रावधान था। वास्तव में, सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र ने 2018-22 के दौरान पीएमयू के अंतर्गत पांच कर्मियों (औसतन) के साथ कार्य किया। अप्रैल 2022 तक परियोजना कार्यान्वयन इकाई

[6] स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की नागरिक पंजीकरण प्रणाली और नमूना पंजीकरण प्रणाली आदि।

क्रियाशील नहीं हो पाई थी। सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र की फाइलों में अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं करने और परियोजना कार्यान्वयन इकाई के काम न करने के कारणों को दर्ज नहीं किया गया है।

इसके अलावा, सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र की स्थापना के दौरान आयुक्त की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय सतत विकास लक्ष्य समन्वय समिति और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय सतत विकास लक्ष्य समन्वय समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था। लेखापरीक्षा पूर्ण होने तक ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई थी।

सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (जून 2023) सूचित किया कि अप्रत्याशित परिस्थितियों और रसद संबंधी बाधाओं के कारण भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसके अलावा, यह भी सूचित किया गया कि 'जिला सतत विकास लक्ष्य सेल' की स्थापना के संबंध में मसौदा दिशा-निर्देश विचाराधीन हैं।

चरण 6 - डैशबोर्ड को क्रियान्वित करना: सतत विकास लक्ष्य डैशबोर्ड का विकास अभी भी प्रक्रियाधीन है (जून 2023)।

चरण 7 - समीक्षा तंत्र: सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र की स्थापना के दौरान यह प्रस्ताव किया गया था कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सतत विकास लक्ष्य मिशन समिति (एसडीजीएमसी) और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) का गठन किया जाना था। सतत विकास लक्ष्य मिशन समिति को प्रत्येक छः महीने में बैठक करनी थी जबकि सतत विकास लक्ष्य के लिए की गई प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति को प्रत्येक तीन महीने में बैठक करनी थी।

तथापि, परियोजना गतिविधियों (सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र की स्थापना की परियोजना) की आवधिक समीक्षा के लिए वित्त और योजना सचिव, हरियाणा सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता में एक परियोजना संचालन समिति (पीएससी) के गठन को छोड़कर ऐसी कोई समीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी।

सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र के अभिलेखों के अनुसार, अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान परियोजना संचालन समिति की केवल चार (2019 में दो बार और 2020 में दो बार) बैठक हुई।

चरण 8 - जिलों की रैंकिंग: सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हरियाणा अस्थाई सतत विकास लक्ष्य जिला सूचकांक 2021 तैयार किया। इस सूचकांक का पहला संस्करण 15 सतत विकास लक्ष्यों (17 में से), 49 लक्ष्यों (169 में से) और 95 संकेतकों पर आधारित है, जिसमें 15 सतत विकास लक्ष्यों में उनके निष्पादन के आधार पर जिलों की रैंकिंग की गई है।

सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र ने उत्तर दिया (जून 2023) कि वे विभागीय अधिकारियों को संवेदनशील बनाने, आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क रिपोर्ट को संस्थागत बनाने के लिए तंत्र का

निर्माण, सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन रिपोर्ट, सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण, सतत विकास लक्ष्य जिला प्रोफाइल आदि जैसी गतिविधियों पर कार्य कर रहे हैं।

इस प्रकार, उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि राज्यों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए अपनाई जाने वाली आठ चरणों की प्रक्रिया को हरियाणा राज्य में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया। इसके अलावा, सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित कुल 15 वर्षों की अवधि में से छः वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सतत विकास लक्ष्य राज्य सरकार के निचले तबके के साथ-साथ स्थानीय सरकार तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच सके।

9.5 निष्कर्ष

राज्य ने 39 राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क संकेतकों को अपनाया जो इसके राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (एसआईएफ) में 12 लक्ष्यों को कवर करते हैं। राज्य सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 15 वर्ष की समय सीमा में से छः साल बीत जाने के बाद भी आठ लक्ष्यों (13 में से) को कवर करने वाले केवल 10 संकेतक प्रकाशित करने में सक्षम था। सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र ने सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए सात वर्ष की कार्यनीति योजना और तीन वर्ष की कार्य योजना तैयार नहीं की थी। बजट का आबंटन लक्ष्य-वार नहीं किया गया, जिसके अभाव में किसी विशेष लक्ष्य पर आबंटन के प्रभाव का आकलन करना संभव नहीं है। राष्ट्रीय लक्ष्यों के संदर्भ में सतत विकास लक्ष्य-3 के चार संकेतकों में निष्पादन संतोषजनक नहीं था। राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए अपनाई जाने वाली आठ चरणों की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया।

9.6 सिफारिशें

1. **राज्य सरकार सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्य के निष्पादन का आकलन करने और निगरानी के लिए विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने हेतु हरियाणा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट में और अधिक संकेतक अपनाने के लिए कदम उठाए।**
2. **कार्यान्वयन को आंकने और निगरानी के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ विस्तृत कार्यनीति योजना और कार्य योजना उचित परामर्श के बाद तैयार की जानी चाहिए।**
3. **सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में नियोजित बजट व्यय के विरुद्ध निष्पादन दर्शाते हुए लक्ष्य-वार वास्तविक व्यय की जानकारी होनी चाहिए जिससे विवेकपूर्ण और पर्याप्त संसाधन आबंटन में सहायता मिल सके।**
4. **सतत विकास लक्ष्य डैशबोर्ड संचालित किया जाना चाहिए और सतत विकास लक्ष्य मिशन समिति (एसडीजीएमसी) के साथ-साथ राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) का गठन डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सतत निगरानी और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के सृजन के लिए किया जाना चाहिए।**

5. **सतत विकास लक्ष्य-3 के लिए व्यय में वृद्धि के पश्चात सतत विकास लक्ष्य-3 के संबंध में उपलब्धि संतोषजनक नहीं है। सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र को कारणों का विश्लेषण करना चाहिए और सुधारात्मक उपाय सुझाने चाहिए।**

6. **सतत विकास लक्ष्य के बारे में जन जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने की पहल की जानी चाहिए ताकि कार्यान्वयन की प्रक्रिया सहभागी और समावेशी बन सके।**

शैलेन्द्र विक्रम सिंह

चंडीगढ़ **(शैलेन्द्र विक्रम सिंह)**
दिनांक: 29 अगस्त 2024 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांक: 9 सितम्बर 2024 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**